**अपील सूचना अधिकार संख्या 17/2019 (RCMS 2019/00062) अनवान् सुरेन्द्र कुमार पुत्र पन्नूराम निवासी स्थाना, वी.पी.ओ. स्थाना तहसील फतेहपुर जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश– 176025 (मोबाईल नं. 98163–52736) बनाम उपजिला कलक्टर, अनूपढ**

**10.02.2020**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी** श्री सुरेनद्र कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवालोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अनूपगढ से वांछित सूचनाएं दिलवाने की प्रार्थना की है।

**मैनें पत्रावली का अवलोकन** किया तो पाया कि अपीलार्थी सुरेन्द्र कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 21.09.2018 को प्रस्तुत करके निम्न सूचनाएं चाही थी :

> चक 27ए तहसील अनूपगढ का मुरब्बा न. 335/440 का 25 बीघा रकबा पुनू पुत्र लाख पुत्र दीवान जाति तरखान को पोंग बांध विस्थापितों मे आवटंन हुआ था उक्त रकबा किस आधार पर खारिज किया गया उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि व उक्त रकबा किसको आवटंन किया गया व खारिज रकबा के स्थान पर पुनू पुत्र लाखू को कौन सा रकबा आवटंन किया गया, इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/19/245 दिनांक 22.02.201, स्मरण पत्र 888/08.08.2019, 1067/17.09.2019 एवं 1322 दिनांक 05.11.2019 से अपील के सम्बन्ध में टिप्पणी एवं रिकॉर्ड चाहा गया था, परन्तु उनके द्वारा उक्त अपील के सम्बन्ध में कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता हो कि अप्रार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है और न ही इस न्यायालय को उक्त अपील का कोई जवाब प्रस्तुत किया है। जबकि धारा 7(1) अन्तर्गत 30 दिवस के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने अथवा न करवाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से प्रावधान दिये गये हैः

**धारा 7 अनुरोध का निपटारा :**

**(1) धारा 5 की उप धारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**

**परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंट के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

**चूंकि लोक** सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के **धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक है।** इसलिए प्रार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

**अतः उक्त** विवेचन के आधार पर प्रार्थी की **अपील स्वीकार** की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं अगर **देय है तो नियमानुसार उपलब्ध करवाई जाये अन्यथा देय न होने पर उक्त आदेश प्राप्ति के सात दिवस में प्रार्थी को कारण सहित सूचित किया जावे।** आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।**

**यह आदेश आज दिनांक 10.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

**(शिवप्रसाद एम. नकाते)**
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर